राजस्थान में क्रियान्वित व संचालित प्रमुख सरकारी योजनाएं

प्रकाशन वर्ष : मार्च, 2021

प्रकाशक : सिकोईडिकोन
एफ–159–160, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302022

ई–मेल : cecoedecon@gmail.com

वेबसाईट : www.cecoedecon.org.in

परिकल्पना : डॉ. आलोक व्यास

संकलन एवं लेखन : गोपाल राम वर्मा

इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का उपयोग व वितरण गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशक का संदर्भ देते हुए किया जा सकता है।

विषय-सूची

विषय	पृ.सं.
आमुख	
1. सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं	1
2. कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र की योजनाएं	10
3. स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी योजनाएं	18
4. शैक्षिक योजनाएं	23
5. श्रमिकों के लिए योजनाएं	29
6. रोजगार व खाद्यान्न योजनाएं	38

आमुख

समाज के गरीब व वंचित वर्ग का जीवन स्तर सुधारने और सतत् विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी योजनाऐं व कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने की मुहिम में स्वंयसेवी संस्थाओं व जनसंगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिल पायेगा जबकि उनके पास उस योजना व उससे जुडी प्रक्रियाओं की सही–सही जानकारी होगी। जानकारी के अभाव में समाज का बड़ा वर्ग इन लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है।

इसी विचार को ध्यान में रखते हुए सिकोईडिकोन द्वारा राज्य में संचालित व क्रियान्वित महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समेटे हुए यह दस्तावेज तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों का संकलन किया गया है।

हमें उम्मीद है कि यह पुस्तिका आमजन की सरकारी योजनाओं तक पहुँच को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। यदि इस पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि रह गयी हो तो आपके सुझाव सदैव हमारे लिए स्वागत योग्य है।

धन्यवाद

मंजू जोशी

सचिव, सिकोईडिकोन

1. सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं

पिछले तीन वर्षों से पूर्व राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र रखने वाले महिला व पुरूषों को पेंशन दी जाती है।

(i) वृद्धावस्था पेंशन : 58 वर्ष से अधिक पुरूष या 55 वर्ष से अधिक आयु के पार निराश्रित महिला व पुरूषों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

पात्रता– इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला लाभार्थी की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक तथा पुरूष लाभार्थी की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।

मिलने वाला लाभ– 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक के पुरूषों (75 वर्ष से कम के महिला व पुरूषों) को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन और 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला व पुरूषों को प्रतिमाह 1000 रूपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है

(ii) एकल नारी पेंशन– इस योजना में राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता– राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ उठा सकती है।

मिलने वाला लाभ– योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को सरकार द्वारा 500 रूपये की पेंशन और 55 वर्ष या उससे अधिक मगर 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को 750 रूपये तथा 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं 1000 रूपये और 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

18 से 55 वर्ष	500 रूपये
55 से 60 वर्ष	750 रूपये
60 से 75 वर्ष	1000 रूपये
75 से अधिक	1500 रूपये

(iii) निशक्तजन (दिव्यांग) पेंशन– इस योजना के अन्तर्गत राज्य के उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्तता से ग्रसित होंगे।

पात्रता– प्रत्येक असहाय दिव्यांग जिसके पास मान्य डॉक्टर द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो। किसी भी आयु का विशेष योग्यजन की निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रूपये से अधिक नहीं हो।

मिलने वाला लाभ– योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष से कम आयु की महिला तथा 58 वर्ष से कम आयु के पुरूषों को सरकार द्वारा 750 रूपये की पेंशन, और 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष और इससे अधिक आयु के पुरूषों को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1250 रूपये की पेंशन धनराशि तथा कुष्ठरोग मुक्त सभी उम्र के पुरूष व महिलाओं को 1500 रूपये प्रदान किए जाते हैं।

लघु और सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना– इस योजना के तहत राज्य के 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के छोटे और सीमान्त कृषक महिलाओं को तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है।

मिलने वाला लाभ– 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की कृषक महिलाओं को तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रूपये तथा 75 वर्ष से अधिक पर 1000 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- जनआधार कार्ड
- बैंक खाता
- राशन कार्ड / वोटर कार्ड / पते का सबूत
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाईल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो

अटल पेंशन योजना– भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक समर्थित वृति योजना है जो इनको पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। एक तरह से यह वरिष्ठ लोगों के लिए फायदेमंद सामाजिक सुरक्षा योजना है। वर्तमान में 18 से 40 साल की उम्र का कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। अटल पेंशन योजना के द्वारा 60 वर्ष की आयु के पश्चात लोगों को 1000 रू. से 5000 रू. तक की मासिक गारंटी पेंशन दी जाती है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।

आवेदन कैसे करें?

- सभी राष्ट्रीयकृत बैंक योजना प्रदान करते हैं। आप अपना ए.पी.वाई. खाता शुरू करने के लिए इनमें से किसी भी बैंक में जा सकते हैं।
- इस योजना के फार्म ऑनलाईन व बैंक में उपलब्ध हैं, इसके अलावा अधिकारिक वेबसाईट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र भरें और इसे अपने बैंक में जमा करें।
- मान्य मोबाईल नम्बर तथा आधार कार्ड की प्रति बैंक में जमा करवाना होगा।
- आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक को पुष्टिकरण संदेश भेजा जाऐगा।

अटल पेंशन योजना के लाभ–

1. निवेश से रिटायर होने के बाद हर माह पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।
2. शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाती है।
3. खाताधारक की मौत हो जाने की स्थिति में पेंशन की राशि उसकी पत्नी को मिलेगी।
4. अगर खाताधारक और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।

कितना निवेश करें?

- अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में इस योजना में निवेश शुरू करता है, तो हर महिने केवल 210 रू जमा कराने होंगे और 60 साल की आयु के बाद हर महिने 5 हजार रूपये मिल सकते हैं।
- इसी तरह अगर कोई 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसे 60 साल की आयु के बाद हर महिने 5 हजार प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए 902 रू. प्रतिमाह (60 वर्ष की आयु तक) का निवेश करना होगा।

अटल पेंशन योजना मासिक योगदान

प्रवेश की आयु	योगदान का वर्ष	1000रू. की मासिक पेंशन	2000रू. की मासिक पेंशन	3000रू. की मासिक पेंशन	4000रू. की मासिक पेंशन	5000रू. की मासिक पेंशन
18	42	42	84	126	168	210
19	41	46	92	138	183	228
20	40	50	100	150	198	248
21	39	54	108	162	215	268
22	38	59	117	177	234	297
23	37	64	127	192	254	318
24	36	70	139	208	277	346
25	35	76	151	226	301	376
26	34	82	164	246	327	409
27	33	90	178	268	356	446
28	32	97	194	292	388	485
29	31	106	212	318	423	529
30	30	116	231	347	462	577
31	29	126	252	379	504	630
32	28	138	276	414	551	689
33	27	151	302	453	602	752
34	26	165	330	495	659	824
35	25	181	362	543	722	902
36	24	198	396	594	792	990
37	23	218	436	654	870	1087
38	22	240	480	720	957	1196
39	21	264	528	792	1054	1318

सभी प्रकार की पेंशन के आवेदन ऑनलाईन ई–मित्र के माध्यम से भरवाए जाते हैं तथा पेंशन बैंक खाते में जमा होगी इसलिए बैंक में खाता अवश्य खुलवाये।

पालनहार योजना– अनाथ बालक–बालिकाओं के लालन–पालन की व्यवस्था परिवार के भीतर ही करने के लिए तथा उन्हें निर्बाध शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है।

पात्रता–

- अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता नहीं हैं,

- ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता को न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास की सजा मिली हो,
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा के बच्चे,
- नाता जाने वाली मां के बच्चे,
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे,
- ऐसे बच्चे जिनकी मां ने पुनर्विवाह कर लिया है, पिता नहीं है और बच्चों के पालन– पोषण की जिम्मेदारी कोई और उठा रहा है,
- एड्स पीडित माता या पिता के बच्चे,
- कुष्ठ रोग से पीडित माता या पिता के बच्चे।
- 5 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाडी में पंजीकृत हों तथा 18 वर्ष तक के बच्चे नियमित स्कूल में अध्ययनरत हों।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

मिलने वाला लाभ– 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 500 रू प्रतिमाह एवं 6 से 15 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 1000 रू प्रतिमाह तथा 2000 रू वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे को कपडों आदि के लिए दिये जाते हैं।

श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज

अनाथ बच्चे	माता–पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र
मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे	दंडादेश की प्रति
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चे	विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
एचआईवी/एड्स पीडित माता/पिता के बच्चे	ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी डायरी/ग्रीन कार्ड की कॉपी
कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता के बच्चे	सक्षम बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी
नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे	नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र
विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे	40 प्रतिशत निःशक्तता के प्रमाण पत्र की कॉपी
तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे	तलाकशुदा/परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

पालनहार के दस्तावेज–

- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह/जनाधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान/वोटर कार्ड
- बच्चे का आंगनबाडी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाईल नम्बर
- पास पोर्ट साइज फोटो

सम्पर्क– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना : विधवा महिला द्वारा पुनः विवाह करने पर लाभ की योजना

पात्रता– 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की विधवा जो विधवा पेंशन पाने की हकदार हो तथा परिवार का कोई सदस्य 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का ना हो।

मिलने वाला लाभ– 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता तथा आवेदन पत्र के प्राप्त होने के बाद 15 दिवस में भुगतान।

आवश्यक दस्तावेज–

1. विधवा महिला का पेंशन पीपीओ
2. पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3. महिला का का आधार कार्ड
4. महिला का भामाशाह / जनाधार कार्ड
5. वर्तमान पति का जन्म प्रमाण पत्र
6. वर्तमान पति का पहचान पत्र

सम्पर्क– जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मुख्यमंत्री कन्या शादी सहयोग योजना– राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिए दी जाती है। अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होता है। आवेदन शादी से 1 महिने पहले और 6 महिने बाद तक किया जा सकता है।

पात्रता–

- राजस्थान का निवासी हो
- कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- बीपीएल / अल्प आय / अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण पत्र हो

मिलने वाला लाभ–

- 18 वर्ष के बाद शादी करने पर 20,000 रूपये
- दसवीं पास करने के बाद 30,000 रूपये
- स्नातक पास के बाद 40,000 रूपये

आवश्यक दस्तावेज–

1. निवास प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड

3. आयु प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बीपीएल / जाति प्रमाण पत्र आदि

सम्पर्क– जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अनुप्रति योजना– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग बीपीएल / सामान्य वर्ग बीपीएल तथा आर्थिक पिछडा वर्ग (सामान्य वर्ग) बीपीएल जिसने अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों, परिवारों के अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रति योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयेजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु

प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रू. 65,000 /
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रू. 30,000 /
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रू. 5,000 /

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु

प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रू. 25,000 /
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रू. 20,000 /
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रू. 5,000 /

प्रोफेशनल / तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी. / आई.आई.एम. / एम्स / एन.आई.टी., एल.एल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अथ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000 रूपये से 50,000 रूपये तक।

राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडीकल / इंजीनियरिंग कॉलेजों में सफल होने तथा राजकीय संस्थानों में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 10,000 / रूपये।

पात्रता–

1. अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. अभ्यर्थी के माता–पिता अभिभावक की वार्षिक आय अभ्यर्थी के आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं हो।
3. अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयेजित राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।

आवेदन–

अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने की 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन–लाईन ही किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा जांच के पश्चात पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र ऑनलाईन किए जाने की दिनांक से 2 माह की अवधि में ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर ऑनलाईन ही बैंक खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज–

1. भामाशाह कार्ड
2. आधार कार्ड
2. परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
4. फीस की रसीद
8. आई.डी. कार्ड
5. बैंक खाता संख्या
10. बी.पी.एल. प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना– पूर्व में यह योजना अक्षत योजना के नाम से थी अब इसका नाम मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना कर दिया गया है।

पात्रता–

- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो
- राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो और आवेदन की तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा रोजगार नहीं कर रहा हो
- राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त हो
- महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर महिला भी पात्र होगी
- प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो
- न्यूनतम आयु सीमा नहीं है लेकिन अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए अधिकतम 35 वर्ष होगी
- प्रार्थी वर्तमान में किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो
- प्रार्थी को किसी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो
- प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष अथवा उसके नियोजन/स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो, के लिए स्वीकार्य होगा
- भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए
- यदि एक परिवार में एक से अधिक योग्य बेरोजगार हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

- प्रार्थी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं हो।

बेरोजगारी भत्ता–

पुरूष प्रार्थी– 3000 रूपये प्रतिमाह

महिला एवं विशेष योग्यजन प्रार्थी– 3500 रूपये प्रतिमाह

यदि कोई लाभार्थी अपात्र हो जायेगा तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसी दिनांक से बन्द हो जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज–

1. प्रार्थी द्वारा स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र
2. विशेष योग्यजन प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र
3. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
4. महिला होने पर विवाहित होने का प्रमाण पत्र
5. जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंकतालिका
6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री
7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गए एकल बचत बैंक खाते की पास बुक की प्रति
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया–

- स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां प्रार्थी पंजीकृत है, ऑनलाईन आवेदन करना होगा तथा संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज ई–साईन कर अपलोड करने होंगे।
- बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रार्थना पत्र किसी भी ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से/स्वयं की एस.एस.ओ. आई डी से लॉगइन कर Employment Exchsnge Management System (EEMS) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना–

राज्य के ऐसे दम्पति जिनके पुत्र नहीं हैं और एक या दो बालिकाएं होने पर नसबन्दी करा लेते हैं तो उन्हें बालिका संबल योजना के तहत प्रत्येक बालिका के नाम 10–10 हजार रूपये की राशि यू.टी.आई. म्यूचूअल फण्ड की सी. सी.पी. योजना के अन्तर्गत जमा करवाते हुए बॉण्ड उपलब्ध करवाया जाता है। बालिका की 18 वर्ष की आयु होने पर उक्त बॉण्ड परिपक्व होगा जिस पर यू.टी.आई. म्यूचूअल फण्ड से एक तय राशि प्राप्त होती है।

लाभान्वित वर्ग–

0 से 5 वर्ष की बालिकाएं

पात्रता– पुत्र रहित दम्पतियों द्वारा एक या दो बच्चियों पर नसबन्दी करवाने पर 5 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए मिलने वाली सुविधाएं–

सम्पर्क– संबंधित जिले के अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अथवा निदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर से आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। जिला कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर बालिका संबंल योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन भरकर भिजवाया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज–

1. सी.सी.पी. फार्म
2. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
3. नसबन्दी प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
5. पैन कार्ड
6. आई.डी.

2. कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र की योजनाएं

राजस्थान तारबन्दी योजना– किसानों को उनके खेत में तारबन्दी करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पात्रता–

- राजस्थान का निवासी हो
- लाभार्थी किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
- पहले से किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।

मिलने वाला लाभ–

- इस योजना के तहत किसान को 50 प्रतिशत सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत 40,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत राशि किसान को स्वयं खर्च करनी पडेगी।

राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना– किसानों द्वारा कृषि यंत्र जैसे ट्रेक्टर, थ्रेसर, हेरा, फसल कटाई, बुवाई आदि कार्यों में काम आने वाले यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है।

पात्रता–

- आवेदक के नाम कृषि भूमि होना आवश्यक है यानि राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए
- सभी श्रेणी के किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, बीपीएल, सीमान्त किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर लाभ दिया जायेगा।
- ट्रेक्टर खरीदने के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए।

मिलने वाला लाभ–

- किसानों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर सरकार के नियमानुसार 40–45 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।
- अधिकृत/पंजीकृत क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

विशेष– *तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा।*

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देश के किसानों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। इस योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पडना, ओले पडना आदि शामिल है। इस

योजना के अन्तर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2 प्रतिशत और रबी फसल का 1.5 प्रतिशत भुगतान बीमा कम्पनी को करना होता है।

यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घण्टे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाईन नम्बर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉन इंश्योरेन्स ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। किसान 7 दिनों में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कम्पनी को दे सकते हैं, जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नम्बर और अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

योजना के लिए देय प्रीमीयम

क्र.सं.	फसल	किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत
1	खरीफ	2.00%
2	रबी	1.5%
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5%

आवश्यक दस्तावेज व नामांकन–

गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज	गैर ऋणी किसानों के लिए नामांकन
■ आधार कार्ड की कॉपी ■ नवीनतम खसरा व जमाबंदी नकल ■ बटाईदार/साझेदार होने का शपथ–पत्र ■ बैक खाता पासबुक की प्रति ■ कृषि या राजस्व विभाग द्वारा जारी फसल बुवाई प्रमाण पत्र ■ विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव प्रपत्र	गैर ऋणी किसान अंतिम तिथि तक निकटवर्ती व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेन्ट एवं जन सेवा केन्द्र अथवा वेबसाईट https//pmfby.gov.in/farmerlogin के माध्यम से स्वयं नामांकन द्वारा अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।

ऋणी किसानों से बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा स्वतः ही काट लिया जाता है, इसलिए उन्हें सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती।

योजना के अन्तर्गत जोखिम कवर–

- खडी फसल (बुवाई से फसल कटाई तक) में हानियां (व्यापक आधार पर)
- फसल कटाई/तुडाई के उपरान्त हानियां (व्यक्तिगत आधार पर), (ओलावृष्टि/चक्रवात/ चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिस द्वारा फसल कटाई की तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए मान्य)
- स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत आधार पर), (ओलावृष्टि/जलभराव/भूस्खलन/बादल फटना/ आकाशीय बिजली)

कामधेनु डेयरी योजना– राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में देशी गाय की हाईटेक डेयरी फार्म को बढावा देने के

लिए इस योजना की शुरूआत की है। इस योजना का संचालन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें पशुपालक को अपनी ओर से 10 प्रतिशत पैसा ही निवेश करना होगा, वहीं बचा हुआ पैसा सरकार और बैंक की तरफ से कर्ज के तौर पर दिया जाएगा।

लागत– कामधेनु डेयरी योजना खोलने की कुल लागत 36.68 लाख रूपये है। जिसमें से आवेदक को केवल 10 प्रतिशत ही निवेश करना होगा, इसके अलावा बचा हुआ 90 प्रतिशत बैंक से लोन के जरिए दिया जाएगा। यदि लोन की रकम समय पर अदा की जाती है तो आवेदक को 30 प्रतिशत तक कर सब्सिडी भी दी जायेगी। योजना में अधिक मात्रा में दूध देने वाली 30 गाय एक ही नस्ल की होंगी। आवेदक के पास डेयरी खोलने के लिए प्र्याप्त मात्रा में धन, भूमि और कम से कम एक एकड जमीन हरा चारा उत्पादन करने के लिए होनी चाहिए।

पात्रता–

- आवेदक को पशुपालन में कम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
- डेयरी खोलने के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए।
- गायों को हरा चारा मुहैया करवाने के लिए एक एकड़ जमीन होनी चाहिए।
- आवश्यक सभी दस्तावेज होने चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

- जो भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वे योजना से जुडी समस्त जानकारी इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं– https://gopalan.rajasthan.gov.in/
- साइट से आपको फार्म डाउनलोड करना होगा और इसका प्रिंट निकाल कर फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरकर तथा मांगे गए दस्तावेजों की कॉपी फार्म के साथ लगाकर जमा करानी होंगी।
- जांच के बाद, जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज–

1. राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड
3. मोबाईल नंबर
4. बैंक खाता
5. पशु पालन सं संबंधित कोई दस्तावेज

किसान दुर्घटना बीमा योजना– राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में फसली ऋणी किसानों को 27 रूपये वार्षिक प्रमीयम पर 6 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा दिया जायेगा।

पात्रता–

1. किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सहकारी बैंक, समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार।
2. सहकारी बैंकों के खाताधारक भी योजना से जुड सकते हैं, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ 54 रूपये

वार्षिक प्रमियम पर मिलेगा।

3. बीमा योजना का पीडित परिवार को तत्काल और पूरा लाभ मिले, इसके लिए पीडित परिवार या व्यक्ति को राशि सीधे खाते में दी जाती है।

देय लाभ– बीमित व्यक्ति के आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर 3 लाख रूपये, किन्हीं दो अंगों की स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 6 लाख रूपये का बीमा किसान को मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज–

1. अपना खसरा नंबर और खतौनी की फोटो प्रति
2. किसी भी सहकारी बैंक में खाता होना जरूरी है, इस खाते की पासबुक की प्रति
3. आधार कार्ड की फोटो प्रति
4. बीपीएल कार्ड की फोटो प्रति

सम्पर्क– योजना में आवेदन सहकारी समिति या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में किया जा सकता है।

राजस्थान कुसुम योजना–

रिन्यूअल एनर्जी मंत्रालय के अनुसार कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट "ए" में ऊर्जा पर निर्भर पावर प्लांट किसानों द्वारा स्थापित किए जायेंगे। इस योजना के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के नजदीक 6 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर की जा सकेगी। इस योजना की खास बात यह है कि इन सोलर पम्पों के लिए किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि ही देनी होगी।

कौन–कौन पात्र हो सकते हैं– इस योजना में भाग लेने के लिए किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वयं की अथवा लीज की जमीन है, पात्र हो सकते हैं तथा इन्हें सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जायेगा।

आवेदन शुल्क– आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के आवेदन हेतु रू. 5000 प्रति मेगरवाट + जीएसटी की दर से आवेदन शुल्क प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा। (0.5 मेगावाट के लिए 2500रू., 1 मेगावाट के लिए 5000रू. 1.5 मेगावाट के लिए 7500रू, 2 मेगावाट के लिए 10,000रू. + जीएसटी)

कुसुम योजना ऑनलाईन आवेदन 2020 के दस्तावेज–

- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाईल नम्बर
- पते का सबूत
- पास पोर्ट साईज फोटो

पशुपालन लोन योजना, राजस्थान– पशुपालन लोन योजना के तहत जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान रखा है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले पशुपालक किसानों को सरकार बैंको से 12 लाख तक का लोन दिलवाएगी तथा लोन पर 66 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगी। लोन से किसानों को पशु खरीदने होंगे और डेयरी की स्थापना करनी होगी। बैंक पशुओं और खोली गई डेयरी का सत्यापन करेंगे।

अनुदान की प्रक्रिया–

- सबसे पहले बैंक जाकर लोन के लिए आवेदन करना होगा
- आवेदन के बाद बैंक 12 लाख तक का लोन स्वीकृत कर सकेंगे
- लोन की रकम से पशु खरीदने होंगे और डेयरी की स्थापना करनी होगी
- डेयरी स्थापित हो जाने के बाद बैंक खरीदे हुए पशुओं और डेयरी का सत्यापन करेगा
- इसके बाद पशुधन विकास विभाग बैंकों को सब्सिडी प्रदान करेगी
- बैंक को अनुदान राशि मिल जाने के बाद आवेदक को उसका लाभ मिल पायेगा।

सम्पर्क– पशुधन विकास विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– इस योजना का उद्देश्य अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करना, चेक बांधों और तालाबों के निर्माण द्वारा वर्षा के पानी का संचयन करना, जल भराव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण अपनाना एवं उसमें बीज उत्पादन करना और पौधशाला लगाना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, बूंद–बूंद व फव्वारा विधि अपनाना तथा फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढाना है।

सहायता का के प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना
सिंचाई के पाईप	लागत का 50 प्रतिशत, रू. 50 प्रति मीटर एचडीपीई पाईप के लिए, रू. 35 प्रति मीटर पीवीसी पाईप के लिए रू. 20 प्रति मीटर एचडीपीई लेमीनेटेड ओपन समतल ट्यूब के लिए	बीजीआरईआई/एमएमओओपी
ऑइलपाम के लिए बूंद–बूंद सिंचाई प्रणाली	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार	एनएमओओपी
प्लास्टिक/आरसीसी आधारित जल संचयन रचना/खेत तलाब/ सामुदायिक टैंक निर्माण (100 मी x 3 मी.) छोटे आकार के तालाब/टैंक के लिए आनुपातिक आधार पर कमांड एरिया पर निर्भर होगी	0.2 हेक्टर कमांड एरिया के लिए 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्रों में रू. 20.00 लाख प्रति इकाई और पहाडी क्षेत्रों में रू. 25.00 लाख प्रति इकाई	एनएचएम/एचएमएनईएच एमआईसीएच की एक योजना

व्यक्तिगत आधार पर खेत तालाब/कुए में जल संचयन (20 मी x 20 मी x 20 मी. परिमाप) छोटे आकार के खेत तालाब/कुए के लिए लागत आनुपातिक आधार पर	10 हेक्टर कमांड क्षेत्र के लिए 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्रों में रू.1.50 लाख प्रति इकाई और पहाडी क्षेत्रों में रू.1.80 लाख प्रति लाभार्थी	एनएचएम/एचएमएनईएच एमआईसीएच की एक योजना
दलहनी एवं गेहूं के लिए फव्वारा सिंचाई सेट	रू.10,000 अथवा लागत का 50 प्रतिशत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
पम्प सेट	रू.10,000 अथवा लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बीजीआरईआई
10 हॉर्सपावर तक के पम्प सेट	रू.10,000/ प्रति पम्प सेट या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो	बीजीआरईआई

फार्म पौण्ड (खेत तलाई) योजना– वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के लिए फार्म पौण्ड (खेत तलाई) बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसके लिए सरकार द्वारा जरूरतमंद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

देय अनुदान– सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 52,500/– कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा राशि रू. 75,000/– प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ (300 माईक्रोन, बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार हो) जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

पात्रता–

- किसान के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टर हो।
- आधार कार्ड,
- जनाधार कार्ड/भामाशाह कार्ड,
- जमाबंदी की नवीन नकल तथा
- सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है

आवेदन प्रक्रिया–

- किसान नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक द्वारा संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा, जिसकी रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी।
- आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेज जमा करायेंगे।
- कार्य पूर्ण होने की स्थिति में 30 दिन में निस्तारण किया जायेगा।

सम्पर्क– किसान को संबंधित जिला स्तरीय कृषि कार्यालय से लाभ दिया जायेगा।

सिंचाई पाईप लाईन योजना– प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई जल की कुशलता एवं उपियोगिता को बढाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

अनुदान–

सिंचाई पाईप लाइन पर जल स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साइज के पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाईप के खरीदने पर समस्त श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.50/– प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रू. 35/– प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रू. 20/– प्रति मीटर एचडीपीई लेमीनेटेड ले–फ्लेट ट्यूब पाईप पर अधिकतम राशि रू. 15,000/– जो भी आनुपातिक रूप से कम हो देय होगा।

पात्रता–

- किसानों के नाम पर भूमि का स्वामित्व हो
- कुए/ट्यूबवेल पर विद्युत/ डीजल/ ट्रेक्टर चलित पम्प सैट हो
- सामलाती जल स्रोत होने पर साझेदारों को अलग–अलग अनुदान मिल सकेगा लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग–अलग होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया–

- किसान नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ओन–लाईन ई–प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करवाएगा। फार्म को स्वयं अथवा डाक द्वारा संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा, जिसकी रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नवीन नकल जरूरी है।
- कार्य पूर्ण होने की स्थिति में 30 दिन में निस्तारण किया जायेगा।
- किसान को संबंधित जिला स्तरीय कृषि कार्यालय से लाभ दिया जायेगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष– दुर्घटना सहायता

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने के लिए समस्त जिला कलक्टर्स को राशि 20–20 लाख रूपये का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया हुआ है। दिनांक 18.02.2019 से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को राशि 1 लाख रूपये तथा दुर्घना में गम्भीर घायल होने पर राशि 20 हजार तक एवं साधारण घायल को चोट की गम्भीरता को देखते हुए सहायता स्वीकृत की जाती है। यह सहायता दुर्घटना दिनांक से अधिकतम 6 माह की अवधि में आवेदन करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। योजनान्तर्गत अकाल, बाढ़ एवं दुर्घटना प्रभावितों को सहायता का प्रावधान है।

सहायता के लिए तहसील/जिला कलक्टर कार्यालय अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में निम्नानुसार आवेदन होता है–

- प्रार्थना पत्र

- घायल की मेडीकल रिपोर्ट की प्रति
- मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अथवा
- शव क्षत–विक्षत होने की स्थिति में जांच अधिकारी का संतुष्टि प्रमाण पत्र
- एफ.आई.आर. की प्रति
- राशन कार्ड की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति / निरस्त चैक

अन्य निर्देश–

- मृतक के आश्रित माता–पिता / पति–पत्नी / पुत्र–पुत्री को ही सहायता देय है।
- विशेष परिस्थितियों में दादा–दादी / आश्रित भाई–बहिन को सहायता दी जा सकती है।
- अज्ञात वाहन से दुर्घटना पर भी अब 2 लाख तक की सहायता प्राप्त है।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
- आत्महत्या के प्रकरणों में सहायता देय नहीं है।
- राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से सहायता देय होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जायेगी।

3. स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी योजनाएं

जननी सुरक्षा योजना– इस योजना के तहत देश की गर्भवती महिलाओं को सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- **ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं**– जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सरकार द्वारा 1400 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा आशा सहयोगिनी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 300 रूपये तथा प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 300 रूपये प्रदान किए जाते हैं।
- **शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं**– जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी गर्भवती शहरी महिलाओं को सरकार द्वारा 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा आशा सहयोगिनी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 200 रूपये तथा प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 200 रूपये प्रदान किए जाते हैं।

पात्रता–

- लाभार्थी महिला की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक हो
- आंगनबाड़ी में पंजीकृत हों तथा प्रसव पूर्व सभी टीकाकरण पूर्ण हों
- यदि गर्भवती महिला मृत बच्चे को जन्म देती है, तो समय से पहले या बीच में जीवित बच्चों को जन्म देना वैध माना जायेगा और महिला लाभ पाने की हकदार होगी।

आवश्यक दस्तावेज–

1. आवेदिका का आधार कार्ड
2. बीपीएल राशन कार्ड
3. पते का सबूत
4. निवास प्रमाण पत्र
5. जननी सुरक्षा कार्ड
6. सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी प्रमाण पत्र
7. बैंक खाता पासबुक
8. मोबाईल नम्बर
9. पासपोर्ट साईज फोटो

सम्पर्क– स्थानीय प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / जिला चिकित्सालय

राजश्री योजना–

बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए यह योजना 2016 में शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों की जन्म दर बढे, उन्हें अच्छी परवरिश मिले तथा पढ लिखकर आगे बढें।

इसके लिए बालिकाओं के अभिभावकों को विभिन्न चरणों में 50,000 रू. तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता–

- योजना की पहली दो किश्तें उन सभी बालिकाओं को मिलेंगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल अथवा जननी सुरक्षा योजना से रजिस्टर्ड निजी अस्पताल में हुआ हो
- यह दोनों किश्तें उनके अभिभावकों को तब भी मिलेंगी जिनके तीसरी संतान बालिका हो, किन्तु योजना में आगे की किश्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा उनके बैंक खाते में आता है, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोडा गया है।

मिलने वाला लाभ

1. बेटी के जन्म के समय 2,500 रूपये (यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त है)
2. एक वर्ष के टीकाकररण होने पर 2,500 रूपये
3. पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रूपये
4. कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रूपये
5. कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रूपये
6. कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रूपये

आवश्यक दस्तावेज–

- लाभार्थी का भामाशाह / जनाधार कार्ड
- बैंक पास बुक की प्रति
- स्थानीय आंगनबाडी में नामांकन

राजस्थान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना– सरकार द्वारा भामाशाह योजना का एकीकरण करके राजस्थान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नया नाम रखा गया है। इस योजना के तहत यदि कोई मरीज हॉस्पीटल में भर्ती होता है तो उसका पूरा इलाज होगा और कोई पैसा भी जमा नहीं करना पडेगा।

कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत चयनित परिवार, एवं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
- आर्थिक सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी वर्तमान योजना से जोडकर योजना का दायरा बढाया गया है।

योजना कवर–

- सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार रूपये तथा गम्भीर बीमारी के लिए 3 लाख तक का कवरेज सरकार

द्वारा लाभार्थी को प्रदान किया जायेगा।

- योजना में प्रदेश के 520 सरकारी व 1054 प्राईवेट हॉस्पीटल शामिल हैं जहां स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–

यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने एवं सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है कि कोई पीछे ना छूटे। आयुष्मान भारत योजना को पीएम–जय के नाम से भी जाना जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं–

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वंचित परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मुहैया करवाना।
- अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाईयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं।
- लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या किसी निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।
- इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं जैसे– दवाईयां, आपूर्ती, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सकों की फीस,कमरे का शुल्क, ओ.टी. और आई.सी.यू. शुल्क आदि जो मुफ्त उपलब्ध हैं।

योजना के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाएं–

- चिकित्सीय परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्चा
- दवाईयां
- गहन और गैर गहन स्वास्थ्य सेवाएं
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- अस्पताल में रहने व खाने का खर्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

निरोगी राजस्थान अभियान–

18 दिसम्बर 2019 को राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर उन्हें निरोगी रखना है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक महिला एवं एक पुरूष स्वस्थ्य मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जायेगा।

अभियान के प्रमुख बिन्दु–

- वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल
- महिला स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान
- किशोरावस्था में स्वास्थ्य
- टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण
- मौसमी बीमारियां
- मिलावट की रोकथाम
- शराब, नशाखोरी व तम्बाकू पर नियंत्रण
- प्रदूषण एवं जनसंख्या नियंत्रण।

मिड–डे–मील योजना– इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल में पढने वाले बच्चों को निशुल्क पर्याप्त पौष्टिक दोपहर का भोजन मुहैया करवाया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत शुरू की गई। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस योजना पर होने वाले खर्चे को साझा किया जाता है, जो भी खर्चा आता है उसमें से 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्यों को वहन करना पडता है।

योजना की निगरानी– राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन कमेटी बनाई गई है जो इस योजना की निगरानी करती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में भी एक कमेटी जिले के अन्दर आने वाले सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए इसका ध्यान रखती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर गांव शिक्षा समिति, अभिभावक– शिक्षक संघ, स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के लोग नियमित रूप से निगरानी कर सकते हैं।

मिड–डे–मील के लिए गाईडलाईन्स–

- जिन स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाता है, उन स्कूलों को ये खाना रसोई घर में बनाना होगा, खुले में खाना नहीं बना सकते।
- रसोई घर, क्लास रूम से अलग होना चाहिए।
- खाना बनाने के लिए रसोई गैस का ही प्रयोग करें।
- पेस्टीसाइड वाले अनाजों का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाए।
- खाना बनाने में एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।
- खाना बनाने से पहले सब्जी, दाल, चावल आदि को अच्छी तरह धो लेना चाहिए।
- खाना बनाने से पहले रसोई घर व खाना बनाने का स्थान साफ होना चाहिए व खाना बनाने वाला साफ सफाई का ध्यान रखे।

मिड डे मील का मेन्यू–

- कक्षा एक से पांच तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम होनी चाहिए। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के पढने वाले बच्चों को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 700 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए।

- सप्ताह में कम से कम एक दिन छात्रों को फल खाने में देने जरूरी है।
- भारत एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का मेन्यू

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा प्रतिदिन/प्रति छात्रा (मेन्यू के अनुसार)	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	खाद्यान्न (गेहूं/चावल)	100 ग्राम	150 ग्राम
2	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3	सब्जी (पत्तीदार सब्जियों सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
4	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5	नमक व मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

पीएम गर्भावस्था सहायता योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना)–

इस योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा 6000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की नोडल एजेन्सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके अन्तर्गत का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की उम्र 19 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

देय लाभ की किश्तें–

- पीएम गर्भावस्था सहायता योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली धनराशि 6000रू. तीन किश्तों में दिए जाते हैं।
- पहली किश्त 1000रू. गर्भवती महिलाओं को आंगनबाडी तथा स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण कराने के बाद
- दूसरी किश्त 2000रू. गर्भधारणके 6 महिने के अन्दर प्रयोगशाला में जांच कराने के बाद
- तीसरी किश्त 2000रू. बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा टीकाकरण आदि के बाद।

पात्रता–

- आवेदन करने वाली गर्भवती महिला की आयु 19 साल से कम नहीं हो
- नौकरी करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा।
- इस योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाते, ऑफ लाईन ही आवेदन किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज–

- राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता पिता दोनों का आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक

4. शैक्षिक योजनाएं

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।

पात्रता–

- राजस्थान का निवासी हो
- उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र हो
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के माता–पिता व अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं हो

पूर्व मैट्रिक छात्रवृति– कक्षा 6 से 8 तक

पात्रता–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र
- छात्र/छात्रा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो
- छात्र/छात्रा के माता पिता या संरक्षक आयकर दाता नहीं हों
- छात्र/छात्रा को राज्य या केन्द्र की अन्य कहीं से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो
- छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रही हो

छात्रवृत्ति की दरें

- छात्र 75 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)
- छात्राएं 125 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)

अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृति– कक्षा 6 से 10 तक

पात्रता–

- अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र
- छात्र/छात्रा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो
- छात्र/छात्रा के माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 44,500 रूपये से अधिक नहीं हों
- छात्र/छात्रा को राज्य या केन्द्र की अन्य कहीं से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त करना एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति की दरें

- छात्र/छात्रा कक्षा 6 से 8 तक 40 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)

❖ छात्र/छात्रा कक्षा 9 से 10 तक 50 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)

विशेष पिछडा वर्ग पूर्व मेट्रिक छात्रवृति

पात्रता–

- विशेष पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र
- छात्र/छात्रा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो
- छात्र/छात्रा के माता पिता या संरक्षक की आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं हों
- छात्र/छात्रा को राज्य या केन्द्र की अन्य कहीं से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो

छात्रवृत्ति की दरें

❖ छात्र 50 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)

❖ छात्राएं 100 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह के लिए)

आंगनबाडी योजना– भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से छः वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाडी योजना को शुरू किया गया।

आंगनबाडी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं–

- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण
- सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल व टीकाकरण
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुपूरक पोषण
- गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली महिलाओं को अनुपूरक पोषण
- आंगनबाडी में आने वाले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा
- 15–45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए पोषण और स्वस्थ्य शिक्षा
- गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल
- नवजात शिशु से कम आयु के बच्चों की देखभाल
- कुपोषण अथवा बीमारी के गम्भीर मामलों को अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा जिला अस्पतालों (पोषण पुनर्वास केन्द्र/नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट) को भिजवाना।
- 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना।

किसी भी आंगनबाडी केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए–

❖ आंगनबाडी ऐसे स्थान पर हो जहां जरूरतमंद, गरीब परिवारों की आसान पहुंच हो।

❖ एक भवन जो 63 वर्गमीटर/650 वर्गफुट से कम का नहीं हो और रिसावमुक्त छत वाला हो।

❖ बरामदा 6ग1.5 वर्गमीटर होना चाहिए तथा बाधामुक्त होना चाहिए।

- ❖ खेल का मैदान, खेल समग्री तथा बाल हितैषी खिलौने
- ❖ साफ–सफाई, जल और स्वच्छता सुविधाएं
- ❖ साफ व स्वच्छ रसोईघर
- ❖ बाल हितैषी 2 शौचालय
- ❖ विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, पंखे बिस्तर आदि
- ❖ बाल्टी, ब्रुश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन सामग्री आदि
- ❖ वजन तोलने की मशीन व लम्बाई मापने के लिए आवश्यक मीटर
- ❖ आवश्यक दवाईयां

आंगनबाडी कार्यकर्ता की भूमिका–

- ✓ प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना।
- ✓ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रख–रखाव करना तथा चिकित्साकर्मियों को दिखाना।
- ✓ 3–6 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालयपूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना।
- ✓ स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची की आयोजना करते हुए 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था करना।
- ✓ स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा शिशुओं को दूध पिलाने/शिशुओं एवं आहार संबंधी प्रक्रियाओं पर माताओं को परामर्श देना।
- ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना।
- ✓ घरों में दौरों के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को निकटतम पीएचसी अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र में भेजना।
- ✓ दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केन्द्र में भेजना।
- ✓ किशोरियों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना।

ग्राम पंचायतों द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाएं–

- o जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकतानुसार आंगनबाडियों की स्थापना करना तथा जिन आंगनबाडियों के अपने भवन नहीं हैं उन्हें भूमि आवंटन करना तथा आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण करवाना।
- o आंगनबाडियों में गुणवत्ता अवसंरचना तथा प्रशिक्षित कर्मचारी सुनिश्चित करना। केन्द्रों में फर्नीचर जैसे कुर्सियां, आलमारियां और खाना रखने के बर्तन भी प्रदान कर सकती हैं। बिजली व गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- o समय–समय पर आंगनबाडियों का निरीक्षण और निगरानी करना।

- बच्चों को आंगनबाडी भेजने के लिए ग्राम सभाओं में लोगों को प्रोत्साहित करना।
- ग्राम पंचायतों को यह भी देखना चाहिए कि जाति, धर्म अथवा किसी अन्य आधार पर बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो।

राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2020 से बदला हुआ मेन्यू के अनुसार पोषाहार के आदेश दिए हैं। बदले हुए मेन्यू के अनुसार– सोमवार और मंगलवार नाश्ते में 60 ग्राम पका केला या मौसमी फल, बुधवार को 100 एमएल दूध, गुरूवार को 55 ग्राम बेसन व 55 ग्राम तिल के लड्डू, शुक्रवार को 40 ग्राम मुरमुरे–पोहा, नीबू–टमाटर के साथ, शनिवार को 50 ग्राम अंकुरित उबली साबुत दालें मूंग, मोंठ चना व मूंगफली देने का प्रावधान किया। वहीं गर्म खाने में सोमवार को 140 ग्राम मीठा दलिया गेहूं व दाल, मंगलवार को 120 ग्राम रोटी सब्जी और दाल, बुधवार को 110 ग्राम खिचडी चावल एवं मूंग दाल, गुरूवार को 75 ग्राम चावल चना दाल व लौकी, शुक्रवार को 85 ग्राम बाजरे की खिचडा व कढी चावल, शनिवार को 105 ग्राम खिचडी आंवला चटनी या नीबू के साथ दिए जाने का प्रावधान किया गया। दाल, खिचडी व लड्डू देसी घी और सब्जी सरसों या मूंगफली के तेल में बनानी होगी। सभी जिलों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यह लाभ मिलेगा।

कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी को टेक होम राशन के रूप में गेहूं दलिया और दाल पोषाहार ही वितरित किया गया ताकि लाभार्थियों को वायरस मुक्त पोषाहार की समुचित आपूर्ती हो सके। 6 माह से 6 वर्ष तक के अधिकतम वजन वाले बच्चों को 3000 ग्राम गेहूं दलिया 2000 ग्राम चना, मूंग, मोंठ या मसूर दाल दिए जाने तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चों को 2000 ग्राम गेहूं दलिया 1000 ग्राम चना, मूंग, मोंठ या मसूर दाल टेक होम राशन दिए जाने का प्रावधान किया गया।

इसी प्रकार गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को 3000 ग्राम गेहूं दलिया 1000 ग्राम चना, मूंग, मोंठ या मसूर दाल टेक होम राशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। मासिक पोषाहार सामग्री पूर्व में ही पूरे माह के लिए दी जाएगी। यह पीडीएस के अन्तर्गत मिलने वाली सामग्री के अलावा दी गई।

बालिका प्रोत्साहन योजना (कक्षा 12 के लिए)

इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक पाने वाली बालिकाओं के लिए 5,000 रूपये एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता हैं।

पुरस्कार हेतु राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त पुरस्कार जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह आयोजित कर प्रदान किए जाते हैं।

आपकी बेटी योजना–

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 21,000 रूपये प्रतिवर्ष तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 25,000 रूपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राजस्थान शिक्षा विभाग की योजना है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना–

इस योजना की शुरूआत वर्ष 2019–20 से की गई है। इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 8, कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की परीक्षा में निम्न वर्गों में 1. अनुसूचित जाति, 2. अनुसूचित जनजाति, 3. अन्य पिछडा वर्ग, 4. अल्पसंख्यक, 5. निःशक्त, 6. आर्थिक दृष्टि से पिछडा सामान्य वर्ग, 7. विशेष पिछडा वर्ग एवं 8. बीपीएल वर्गों में से जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रतिवर्ष 19 नवम्बर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर समारोह आयोजित कर पुरस्कार वितरित किया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पुरस्कृत किया जाता है।

पुरस्कार–

- कक्षा 8 की बालिकाओं को रू. 40,000/–,
- कक्षा 10 की बालिकाओं को रू. 75,000/– तथा
- कक्षा 12 की बालिकाओं को रू. 1,00,000/– का पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 12 की बालिकाओं को पुरस्कार के अलावा स्कूटी भी दी जाती है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना– दिनांक 14 अगस्त, 06 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के उदेश्य से ''पन्नाधाय जीवन अमृत योजना'' लागू की गई है।

पात्रताः– इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच की हो। ऐसे परिवार की मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम् (सबसे बडा) व्यक्ति पात्र होगा। मुखिया को यह भी विकल्प होगा की वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये।

देय लाभः– इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्नांकित लाभ देय होगा। जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जावेगा।

(अ) सामान्य मत्यु होने की दशा में रूपये 30,000/–

(ब) दुर्घटना होने में मत्यु होने अथवा स्थायी/पूर्ण शारीरिक अंपगता यथा दो आंखें या दो हाथ/पैर या एक आंख व एक हाथ/पैर की क्षति होने पर रूपये 75,000/–

(स) दुर्घटना मे आंशिक अपंगता यथा एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर रूपये 37,500/–

सुकन्या समृद्धि योजना–

सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उसके जन्म लेने से दस वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकता है। यह खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 250 रू. और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा करवाने होते हैं। एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है। केवल दो बालिकाओं तक ही खाता खोला जा सकता है। बेटी के 10 साल की आयु पूरी करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके बाद स्वयं खाताधारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकती है। इस खाते को देशभर में कहीं भी स्थान्तरित करवाया जा सकता है।

विशेष–

- यह खाता एक हजार रूपये की प्रारम्भिक जमा राशि से खोला जाएगा और एक वित्तीय वर्ष में इसमें न्यूनतम एक हजार और अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये जमा किए जा सकेंगे।
- खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकेगी।
- यदि खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो न्यूनतम जमा राशि सहित 50रू. प्रति वर्ष के जुर्माने के साथ खाते को नियमित कराया जा सकेगा।
- खाते में जमा राशि के पचास प्रतिशत तक की राशि निकालने की अनुमति तब दी जायेगी जब बालिका 18 वर्ष की हो जाए।
- बलिका की मृत्यु होने पर संरक्षक द्वारा खाता बन्द कर दिया जायेगा और राशि ब्याज सहित निकाली जा सकेगी।
- खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा।
- यदि बालिका का विवाह 21 वर्ष अवधि पूर्ण होने से पहले होता है तो विवाह की तारीख के बाद खाते के संचालन की अनुमति नहीं होगी। खाता संचलन बंद होने के बाद आहरण पर्ची द्वारा जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी।

खाता खोलना– इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक खाता बालिका के माता–पिता या अभिभावक उसके 10 साल का होने तक खोल सकते हैं। एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है। यदि किसी की दो बेटियां हैं तो उसे दो अलग–अलग खाता खोलना होगा।

ब्याज दर– इस योजना के तहत खाते में जमा राशि पर हर वर्ष भारत सरकार की ओर से ब्याज दरों की घोषणा की जायेगी। ब्याज दर 8.1 प्रतिशत (परिवर्तनीय) तय की गई है।

जमा निधि– इस खाते को न्यूनतम 250रू. की राशि या उसके 100रू. गुणांक के साथ खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रूपये और अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक इस खाते में जमा किया जा सकेगा। यह राशि खाता खोलने से 14 साल पूरा होने तक जमा रहेगी।

टैक्स में राहत– इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80–जी के तहत छूट दी जायेगी।

5. श्रमिकों के लिए योजनाएं

श्रमिक कार्ड– यदि आप मजदूर के रूप में कहीं काम कर रहे हो तो आप अपने ठेकेदार तथा नियोजक के लैटर पैड के आधार पर अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं।

श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज–

1. आवेदन फार्म
2. राशन कार्ड
3. एक फोटो
4. जन आधार कार्ड
5. ठेकेदार अथवा नियोजक का कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र
6. ठेकेदार अथवा नियोजक का एक परिचय पत्र।
7. श्रम विभाग में सदस्य बनने के लिए 85 रूपये का भुगतान करना होगा, जो तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा।

श्रमिक कार्ड के लाभ– राजस्थान श्रमिक कार्ड के जरिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे– श्रमिक शिक्षा कौशल योजना, निर्माण श्रमिक आवास योजना, श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, शुभशक्ति योजना, निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों को गम्भीर बीमारी पर व्यय का पुनर्भरण योजना, सिलीकॉसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना आदि।

विशेषः ठेकेदार को अपना लैटर पैड, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पैन कार्ड नम्बर इसके साथ अपना जीएसटी नम्बर भी देना होगा और लैटर पैड पर कार्य का नाम, कार्य की लागत, कहां कार्य किया जगह का नाम और कितने दिन काम किया तथा कितनी मजदूरी दी गई आदि लिखना होगा।

श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना–

पात्रता–

- आवेदक एक निर्माण श्रमिक होना चाहिए जो बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हो।
- लाभार्थी के बेटा/बेटी/पत्नी इस योजना के पात्र होंगे।
- लाभार्थी को दो बच्चों तक ही छात्रवृति देय होगी, लेकिन मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार की कोई सीमा नहीं है।
- लाभार्थी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित अध्यनरत हो।
- मेधावी छात्र को नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत अंकों या अधिक से उत्तीर्ण होनी चाहिए, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो।
- माता या पिता दोनों में से किसी एक को श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।

- योजना में आवेदन करने से 6 माह पूर्व पंजीकरण हो तथा
- वर्ष में कम से कम 90 दिन श्रमिक कार्य किया हो।

मिलने वाली छात्रवृत्ति

कक्षा	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन
कक्षा 6 से 8 तक	रू. 8,000	रू. 9,000
कक्षा 9 से 12 तक	रू. 9,000	रू. 10,000
आई.टी.आई. छात्र	रू. 9,000	रू. 10,000
डिप्लोमा छात्र	रू. 10,000	रू. 11,000
स्नातक (सामान्य)	रू. 13,000	रू. 15,000
स्नातक (प्रोफेशनल)	रू. 18,000	रू. 20,000
स्नातकोत्तर (सामान्य)	रू. 15,000	रू. 17,000
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)	रू. 23,000	रू. 25,000

होशियार (मेधावी) छात्र/छात्राओं को मिलने वाला पुरस्कार

मण्डल में पंजीकृत परिवार के होशियार (मेधावी) छात्र/छात्राओं को कक्षा 8वीं से 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक तथा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने पर निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिया जाता है–

क्र.सं.	कक्षा	पुरस्कार राशि
1	कक्षा 8वीं से 10वीं स्तर तक	2000रू.
2	11वीं से 12वीं स्तर तक	3000रू.
3	स्नातक स्तर (प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक उत्तीर्ण कोर्स)	5000रू.
4	पोलीटेक्निक डिग्री	7000रू.
5	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक उत्तीर्ण कोर्स)	10,000रू.
6	स्नातक (चिकित्सा, यांत्रिकी, एमबीए, आदि प्रोफेशनल कोर्स)	20,000रू.
7	स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, एमटेक, आदि प्रोफेशनल कोर्स)	30,000रू.

श्रम विभाग राजस्थान के हेल्पलाईन नम्बर–1800–1800–999

राजस्थान शुभशक्ति योजना–

यह योजना भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के लिए है, इस योजना के तहत अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हितकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय

प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

पात्रता–

- लडकी के माता या पिता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी / निर्माण श्रमिक हों तथा कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो।
- अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- महिला हिताधिकारी अविवाहित हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूरी हो गई हो और अविवाहित हो।
- हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा पास हो।
- हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक में खाता हो।
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।

आवश्यक दस्तावेज

1. स्थायी पता प्रमाण पत्र
2. राजस्थान नागरिकता का प्रमाण पत्र
3. 8वीं कक्षा की मार्कशीट
4. आय प्रमाण पत्र
5. आयु प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि
8. बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि

प्रधानमंत्री जन–धन योजना– इस योजना का उद्देश्य वंचित व कमजोर वर्गों तथा कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जायेगा जिसमें 1 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) में खोला जा सकता है। ऐसा खाता जीरो बैलेन्स के साथ खोला जा सकता है।

योजना के लाभ–

- जमा राशि पर ब्याज
- एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर
- कोई न्यूनतम शेष राशि जरूरी नहीं
- 30 हजार रूपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की पूर्ती पर देय

- भारत भर में धन का आसानी से अन्तरण
- 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचलन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा

आवश्यक दस्तावेज–

1. यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
2. यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड आदि भी जिसमें आपका पता मौजूद है, भी मान्य है।
3. केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटों वाले पहचान पत्र मान्य भी होंगे।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृतिः

बीमित सदस्य के 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृति रूपये 300/– प्रति छात्र प्रति तिमाही अर्थात प्रतिवर्ष रूपये 1200/– प्रति छात्र देय है।

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना–

इस योजना के तहत महिला/महिला स्वयं सहायता समूह को उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

विनिर्माण आधारित उद्योग धंधे–

- कृषि आधारित उद्योग– खाद्य प्रंसस्करण, बेकरी, बिस्किट, अचार, मुरब्बे, चॉकलेट, आर ओ वाटर इत्यादि।
- डेयरी आधारित उद्योग– केटल फीड, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, दुग्ध आधारित उत्पादों का निर्माण इत्यादि।
- खनिज आधारित उद्योग– खनन, ईट, सीमेंन्ट, रत्न आभूषण इत्यादि।
- वस्त्र एवं परिधान आधारित उद्योग– सिलाई, बुनाई, रेडिमेड परिधान, टैक्सटाईल, वस्त्र प्रोसेसिंग, डाई इत्यादि।
- चर्म आधारित उद्योग– फुटवियर, बैग्स, चर्म शोधन, रंगाई इत्यादि।
- फिर्निशिंग आधारित उद्योग– वुड्स हैन्डीक्राफ्ट, फर्निचर निर्माण, पेपर एवं पेपर उत्पाद इत्यादि।
- रसायन, प्लास्टिक एवं रबर आधारित उद्योग इत्यादि
- मशीनरी एवं ऑटो पार्ट्स निर्माण आधारित उद्योग इत्यादि।
- कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण निर्माण इत्यादि।

सेवा आधारित उद्योग

मरम्मत एवं रख–रखाव आधारित–

- समस्त वाहनों, घरेलू उपकरणों, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणो ंकी मरम्मत एवं रख–रखाव इत्यादि।
- होटल एवं फूड सर्विस– रेस्टोरेन्ट, मोटल, ढ़ाबा, कैटरिंग, टेन्ट हाउस, ईवेन्ट मैनेजमेन्ट इत्यादि।
- अस्पताल व लैबोरेट्री– डायग्नोस्टिक लैब, नर्सिंग केयर एवं मेडिकल सेवाएं इत्यादि।
- सलाहकारी सेवाएं– विधिक, लेखा, वित्त, प्रबंध संबंधित सलाह, मैरिज ब्यूरो, शोध एवं इन्जिनियरिग सेवाएं इत्यादि।
- शिक्षा एवं रोजगार संबंधित सेवाएं– प्लेसमेन्ट ऐजेंसी, कुरियर, मानव संसाधन, शिक्षण एवं कोचिंग, लाईब्रेरी, ई–मित्र, फोटोकॉपी इत्यादि।
- यात्रा एवं सुरक्षा आधारित सेवाएं– ट्यूर एवं ट्रेवल, सिक्योरिटी, सुरक्षा एवं अनुसंधान सेवाएं इत्यादि।
- मनोरंजन एवं साज–सज्जा संबंधित सेवाएं– ब्यूटीपार्लर, जिम एवं सलून, सिनेमा, प्रदर्शनी ट्रेड शो, बूटिक इत्यादि।
- विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार सेवाएं– फोटोग्राफी, स्पेशल डिजायन, विज्ञापन सेवाएं, मार्केट अनुसंधान इत्यादि।

व्यापार

- किराणा स्टोर, फैन्सी स्टोर, प्रोविजनल स्टोर, डिपार्टमेन्टल स्टोर इत्यादि।
- विभिन्न प्रकार के सामानों यथा खाद्यान, फल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद, पशु उत्पाद, खनिज उत्पाद, इत्यादि का क्रय–विक्रय
- स्टेशनरी, कीट नाशक, फर्टीलाईजर, दवाईयॉ, बिल्डिंग मेटेरियल, वस्त्र–आभूषण इत्यादि का क्रय–विक्रय
- इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण, आटो पार्ट्स, वाहनों इत्यादि का क्रय–विक्रय,
- खनिज एवं धातु आधारित उत्पादों इत्यादि का क्रय–विक्रय

पात्रता की शर्तें

1. **व्यक्तिगत महिला आवेदक**
   - ❖ आयु 18 वर्ष या अधिक।
   - ❖ राजस्थान की मूल निवासी।
2. **महिला स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर/फेडरेशन।**
   - ❖ राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज हो।
   - ❖ क्लस्टर/फेडरेशन नियमानुसार राजस्थान सहकारिता अधिनियम के तहत् पंजीकृत हो।

ऋण सीमा

क्र. सं.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि
1.	व्यक्तिगत आवेदक/स्वयं सहायता समूह	50 लाख रू.तक
2.	स्वयं सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन)	1 करोड़ रू.तक

- ऋण पूंजीगत ऋण (टर्मलोन) तथा कार्यशील पूंजी (वर्किंगकैपिटल) के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।
- पूंजीगत ऋण– स्थाई विनियोजन यथा मशीनरी, फर्निचर, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण इत्यादि।
- कार्यशील पूंजी– उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री (कच्चा माल), वेतन एवं मजदूरी, बिजली, पानी व्यय, पैकेजिग स्टेशनरी इत्यादि।
- व्यापारिक ऋण की अधिकतम सीमा– 10 लाख रूपये।

ऋण अनुदान

- ❖ स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान (Margin Money)।
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विधवा/परित्यक्ता/हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत ऋण अनुदान

- **विशेष विवरणः–**
  - ❖ ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा– 15 लाख रूपये।
  - ❖ रू. 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5% तथा रु.10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश आवेदक द्वारा
  - ❖ आवेदक के स्वयं के अंशदान की गणना ऋण अनुदान हेतु होगी।

ऋणदात्री संस्थाएं

- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक
- निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा
- अनुसूचित स्मॉल फाईनेन्स बैंक

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

सभी को आश्रय–2022 के मद्देनजर 01 अप्रेल 2016 से इंदिरा आवास योजना को सुदृढिकृत कर इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत राशि रू. 1,2000 जो केन्द्र व राज्य की ओर से 60:40 की हिस्सेदारी से देय है। स्वीकृत आवास के निर्माण हेतु मनरेगा से 90 अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक रू. 19,800 को जोडकर कुल रू.1,49,800 तक की सहायता दी जाती हैं।

पात्रता–

- जिसके पास स्वयं का मकान नहीं हो या जो किराए के मकान में रह रहा हो।
- ग्राम सभा में अनुमोदित वर्गवार सूची में नाम हो
- जिन्होंने पूर्व में अल्प आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।

अन्य प्रावधान–

- आवास के साथ रसोईघर निर्माण का भी प्रावधान कर निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है।
- आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा एक वर्ष की अवधि में पूरा करवाना होगा।
- पंजीकरण के लिए लाभार्थी का अथवा परिचित का मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा।
- अनुदान राशि का हस्तान्तरण लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।
- स्वीकृति के लिए वर्तमान निवास एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल की जिओ टैकिंग फोटो अनिवार्य है।
- लाभार्थी इच्छा अनुसार स्वयं की डिजाइन का आवास निर्माण कर सकता है।

देय लाभ– योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय अनुदान राशि रू. 1,20,000 आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 3 किस्तों में देय है।

प्रथम किस्त	स्वीकृति के साथ	15,000रू.
द्वितीय किस्त	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूरा करने पर	45,000रू.
तीसरी किस्त	शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूरा करने पर	60,000रू.

मनरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स के तहत 90 अकुशल दिवस का पारिश्रमिक (राशि रू. 19,800/) देय है।

आवास निर्माण स्तर	देय मानव दिवस	राशि रू.
नींव से कुर्सी स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर	28	6160
कुर्सी स्तर से लिन्टल लेवल तक कार्य होने पर	24	5280
लिन्टल लेवल से छत डालने तक कार्य होने पर	10	2200
फिनिशिंग कार्य हेतु	28	6160

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAYG)–

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही पक्का शौचालय बनवाने के लिए भी सहायता दी जाती है। आवास निर्माण के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर की जाती है।

योजना की विशेषताएं–

- आवास निर्माण के लिए 25 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए जिसमें रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में सहायता 1 लाख 20 हजार रूपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता 1 लाख 30 हजार रूपये है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का निर्धारण सामाजिक व आर्थिक जनगणना के आंकडों के आधार पर किया जाता है।

इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लडकियों तथा महिलाओं को मुफ्त कम्प्यूटर कोर्स करवाया जाता है।

योजना के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कोर्स

1. **आरएससीआईटी कोर्स**– इस कोर्स के माध्यम से लडकियों को बेसिक कम्प्यूटर सिखाया जाता है, इसके तहत कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी प्रदान की जाती है। इस कोर्स के लिए लडकियों को 10वीं पास होना जरूरी है तथा इसकी अवधि 3 महिने है।
2. **वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण**– इस कोर्स के माध्यम से कम्प्यूटर संबंधित वित्तीय गणना के बारे में बताया जायेगा। इस कोर्स के लिए लडकियों को 12वीं पास होना जरूरी है।

योजना का लाभ–

- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाएं और बालिकाएं ही ले सकती हैं, पुरूष पात्र नहीं हैं।
- जो भी खर्चा आएगा वह राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा
- उम्मीदवार महिला की उम्र 16 से 40 वर्ष होनी चाहिए

आवश्यक दस्तावेज–

- आयु प्रमाण के लिए 10वीं का सर्टीफिकेट
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा उच्चतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- विधवा महिला को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना–

इस योजना के तहत पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

पात्रता–

- किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
- पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान हो सकते हैं

- स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इकॉपरेटेड कम्पनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा
- इस योजना का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से लीगल एग्रीमेन्ट के तहत उस भूमि पर खेती करते हों, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।

योजना के लाभ–

1. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके पास कृषि योग्य भूमि तथा जल संसाधन होंगे।
2. योजना के लिए केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
3. इससे ड्रिप/स्प्रिंक्लर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है।

आवश्यक दस्तावेज–

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- किसान की जमीन के कागजात, जमाबन्दी की नकल
- बैंक खाता पासबुक
- पापोर्ट साईज फोटो
- मोबाईल नम्बर

6. रोजगार व खाद्यान्न योजनाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (MNREGA)– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (छत्म्ळ।) के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 2010 इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (डछत्म्ळ।) कर दिया। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी से अधिक की दूरी पर) का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है।

मनरेगा के उद्देश्य–

- ग्रामीण रोजगार को उत्पन्न कर अकुशल श्रम के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक के लिए 100 दिनों का काम प्रदान किया जाना और कम से कम 100 दिनों का भुगतान किया जाना।
- ग्रामीण गरीबों की आजीविका के आधार को मजबूत करके सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, तालाबों, सडकों और नहरों आदि का निर्माण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोककर उन्हें स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करवाना।
- सार्वजनिक कार्य के साथ ही नरेगा कार्ड धारक लघु व सीमान्त किसानों को स्वयं के खेतों का सुधार करना।

मनरेगा के लिए योग्यता–

- आवेदक भारत का नागरिक हो
- आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
- आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत का हिस्सा हो
- आवेदक को अकुशल श्रम के लिए स्वयेसेवक होना चाहिए

नरेगा जॉब कार्ड क्या है?

नरेगा जॉब कार्ड नरेगा में काम करने वाले अकुशल श्रमिक का पहचान पत्र है, जिसमें नरेगा श्रमिक का नाम, नरेगा रजिस्ट्रेशन नम्बर, घर में अवेदकों की जानकारी इत्यादि होती है। नरेगा कार्ड के अभाव में उसे इस योजना के तहत काम करने का अधिकार नहीं होता।

नरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

स्थानीय ग्राम पंचायत में नरेगा जॉब कार्ड आवेदन फार्म लिया जा सकता है या सादा कागज पर भी आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में अधिकारिक नरेगा वेबसाईट से नरेगा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। नरेगा कार्ड में होता है–

1. आवेदक की फोटो
2. घर के सभी नरेगा जॉब कार्ड धारकों के नाम, आयु, लिंग

3. गांव का नाम
4. ग्राम पंचायत का नाम
5. ब्लॉक का नाम
6. आवेदक का वर्ग जैसे एससी / एसटी / ओबीसी / विशेष योग्यजन आदि
7. आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे की निशानी

इसके साथ ही राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड दस्तावेज लगाकर जमा कराना होता है। एक बार दस्तावेज जमा हो जाने के बाद आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर नरेगा जॉब कार्ड बनकर आवेदक को प्राप्त हो जाता है। एक बार बना जॉब कार्ड 5 वर्षों के लिए मान्य रहता है।

मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले प्रमुख कार्य

- जल संरक्षण
- सूखे की रोकथाम के अर्न्तगत वृक्षारोपण
- बाढ़ नियंत्रण
- भूमि विकास
- आवास निर्माण
- बागवानी
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
- कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है।

विशेष–

- मनरेगा में आवेदन जमा कराने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार प्रदान किया जायेगा।
- यदि किसी कारणवश 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान नहीं होता है तो सरकार द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा, यह पहले 30 दिन का एक चौथाई होता है, 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
- मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों में लगे सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे– पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा आदि का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के तहत मजदूरी का भुगतान बैंक / डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम"

इस योजना के तहत प्रत्येक जॉब कार्ड धारी परिवार को रू. 3 लाख तक की सीमा में व्यक्तिगत लाभ का कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए देय 90 अकुशल श्रमिक की राशि एवं पशु आश्रय / बकरी आश्रय / सूकर आश्रय / कुक्कुट आश्रय के कार्य भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।

लाभान्वित वर्ग–

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
- घुमन्तु जनजातियां
- गरीबी रेखा से नीचे अन्य परिवार
- महिला प्रधान वाले परिवार
- शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले परिवार
- भूमि सुधारों का फायदा लेने वाले
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लाभार्थी
- पारम्परिक वनवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन लाभार्थी

पात्रता–

1. जिस ग्राम पंचायत द्वारा जॉबकार्ड जारी किया गया है, उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाभार्थी के पास अथवा उसके पिता / पति के नाम खातेदारी भूमि हो तथा वह जॉब कार्ड धारक हो।
2. व्यक्तिगत लाभ के कार्य का नामजद अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जावे तथा वह नामजद कार्य जिले की वार्षिक कार्य योजना में शामिल हो।
3. कार्य का क्रियान्वयन लाभार्थी द्वारा स्वयं भी किया जाना आवश्यक है।

योजना में दी जाने वाली सुविधाएं–

1. भूमि विकास कार्य जैसे भूमि समतलीकरण, छोटे बांध / तलाई की उपजाऊ मिट्टी लाकर खेत में डालकर भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढाना, ढलान खेत में सीढीनुमा खेत तैयार करना ताकि बंजर खातेदारी भूमि को खेती योग्य बनाया जा सके, मेडबन्दी कार्य मय वानस्पतिक बाढ / अवरोध लगाना।
2. खेत के चारों ओर वानिकी पौधारोपण एवं अनावश्यक बारानी भूमि में चारा उत्पादन।
3. वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्टिंग आदि कार्य।
4. कृषि भूमि पर भू–जल संरक्षण कार्य जैसे पानी निकास हेतु नाली निर्माण एवं पानी के रूकावट हेतु चैकडेम कार्य एवं उपयुक्त क्षेत्रों में खडीन निर्माण कार्य।
5. कच्चे धोरे बनाने का कार्य अथवा कच्चे धोरों को पक्का करने का कार्य, फार्म पॉण्ड, डिग्गी, टांके, जल हॉज, उपयुक्त स्थानों पर कूप गहरा करना आदि कार्य।
6. मछली शुष्कण यार्डों, भण्डारण सुविधाओं जैसे मछली पालन और संवर्धन कार्य।
7. आवास योजना के लिए 90 अकुशल श्रमिक की राशि ऊपर वर्णित रू. 3 लाख की राशि के अतिरिक्त देय है।
8. पशु आश्रय / बकरी आश्रय / सूकर आश्रय / कुक्कुट आश्रय, पशुधन संवर्धन कार्यों के लिए आवश्यकता

एवं वास्तविक तकमीने अनुसार राशि रू. 3 लाख की राशि के अतिरिक्त देय है।

आवश्यक दस्तावेज–

- जॉबकार्ड की फोटो प्रति
- पात्रता का प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड आदि की फोटो प्रति
- भूमि की जमाबन्दी की नकल एवं ट्रेस नक्शा
- राशनकार्ड/बैंक पासबुक/आधार कार्ड की फोटो प्रति
- प्रस्तावित कार्यस्थल का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का प्रार्थी के साथ फोटो
- वर्मी कम्पोस्ट/खेत में मिट्टी डालने हेतु कृषि पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र
- पशु विश्राम घर आवासीय भूमि में निर्मित करवाने एवं भूमि का पट्टा न होने की दशा में निवास साक्ष्य के रूप में बिजली का बिल/भूमि का विक्रय विलेख/राशन कार्ड आदि की फोटो प्रति

सम्पर्क– ग्राम पंचायत/पंचायत समिति तथा जिला परिषद कार्यलय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.)

यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की केन्द्र और राज्य सरकार की सम्मिलित वित पोषित योजना है जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्र व 50 प्रतिशत राज्य का सहयोग होता है। राज्य में योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य में योजना के तहत अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. राशन कार्डधारी को 1/– रूपये प्रति किग्रा. की दर से तथा अन्य पात्र परिवार को 2/– प्रति किग्रा. की दर से प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है।

खाद्य सुरक्षा योजना

राजस्थान राज्य के ऐसे नागरिक जिनका राशनकार्ड बना हुआ है और खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुडवाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें ई–मित्र पर अपना पंजीकरण कराना होगा और खाद्य सुरक्षा का फार्म भरना होगा। इसके लिए नीचे लिखी पात्रता होना जरूरी है।

पात्रता–

- बीपीएल राशन कार्डधारक पूरा परिवार
- अन्त्योदय योजना के तहत परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेने वाले परिवार
- एकल महिलाएं
- निर्माण श्रमिक परिवार जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं

- लघु कृषक
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का लाभ लेने वाले परिवार
- पेंशन लेने वाले वरिष्ठ नागरिक जो स्वतंत्र राशनकार्ड धारक हों
- सीमान्त कृषक/भूमिहीन परिवार
- सहरिया वर्कर, कथौडी जनजाति परिवार
- मुक्त बंधुआ मजदूर
- मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना में आने वाले परिवार
- नरेगा में किसी भी वर्ष 100 दिन तक मजदूरी करने वाले परिवार
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना/मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना/ मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ–

- अगर कोई व्यक्ति करदाता है तो उसका परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता
- किसी की पेंशन अगर 1,00000 रू. से अधिक हो
- चार पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति का परिवार
- कॉर्पोरेट कम्पनी में या स्वायत्तशासी उद्योग व संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति का परिवार
- 200 वर्ग फीट या उससे अधिक स्वयं की भूमि पर पक्का मकान होने वाले व्यक्ति
- ऐसा कृषक परिवार जिसकी भूमि सीमान्त किसानों के अधिकतम भूमि निर्धारण से अधिक हो

विशेष– राज्य सरकार के आदेशानुसार जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है और यदि उसका परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहा है तो उस परिवार से लिए गए राशन के गेहूं का 27रू. प्रति किलों के हिसाब से बसूली की जायेगी।

दस्तावेजों की सूची–

1. राशन कार्ड
2. आधार कार्ड
3. भामाशाह/जनाधार कार्ड
4. वोटर आईडी कार्ड
5. आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र
6. पासपोर्ट साईज फोटो

बायोमैट्रिक पहचान से पात्र व्यक्ति को राशन वितरण– प्रदेश में हर परिवार को उसके हक का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की गई है, और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए भी गए हैं। पात्र

व्यक्ति को मशीन पर अंगूठा या अंगुली मशीन में लगााना होता है ताकि राशन दूसरा नहीं ले सके।

पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया–

- आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगााकर अपनी पहचान दर्ज करके राशन ले सकते हैं।
- इसके लिए अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाल लाईट न जल उठे)।
- किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो सके तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह में जुडा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है।
- अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड मोबाईल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है।
- ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है।
- पोस मशीन से निकलने वाली पर्ची अवश्य लें इसमें राशन का पूरा हवाला रहता है।
- यदि परिवार का कोई मोबाईल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं।

मोबाइल पर मैसेज–

- राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना शेष है।

खाद्य सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर– 1800 180 6127

कोरोना काल में केन्द्र सरकार की 5 योजनाएं

केन्द्र सरकार की वो 5 योजनाएं जिसके जरिए कोरोना संकट में की जा गई लोगों की मदद कोरोना संकट के समय केन्द्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खद्यान्न के साथ महिलाओं,बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान कर आर्थिक मदद पहुंचाई। इसके अलावा मनरेगा के तहत घर वापिसी करने वाले श्रमिकों को भी रोजगार मिलना शुरू हो गया है। लॉकडाउन के चलते सारे करोबार और उद्योग धंधों पर भी विपरीत प्रभाव पडा, दिहाडी मजदूरों की आजीविका पर संकट आ गया। ऐसी संकट की घडी में ये 5 योजनाएं गरीबों के लिए मददगार साबित हुई हैं।

1. जनधन खाता– 3 महिने 500–500 रूपये की मदद

कोरोना संक्रमण के संकट में गरीबों के लिए जनधन खाता मददगार बना। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के खातों में 500–500 रूपये की किश्त भेजी। सरकार ने तीन महिने अप्रेल, मई और जून तक यह सहायता देने का फैसला किया। इसके अलावा राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को भी आर्थिक मदद की।

2. खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज

लॉकडाउन में खाद्य सुरक्षा योजना गरीबों के लिए काफी बडा सहारा बनी, इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन देने की व्यवस्था की गई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो रूपये किला गेहूं और तीन रूपये किलो चावल प्रति व्यक्ति पांच किलो दिया जा रहा था उसे कोरोना काल में फ्री कर दिया तथा दाल का आवंटन भी हुआ।

3. पीएम किसान सम्मान निधि योजना

कोरोना संकट में किसानों के खाते में सरकार ने पैसे भेजने का काम भी किया, जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में सीधे 2,000 रूपये की आर्थिक मदद पहुंचाई गई। इस योजना में छोटे किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रूपये की राशि जमा की जाती है। इसके अलावा किसानों ने अपने कर्ज पर 3 महिने के मोरेटोरियम का फायदा भी दिया गया।

4. मनरेगा रोजगार सृजन में मददगार

लॉकडाउन के दौरान मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी–रोटी का सहारा बनी है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते घर वापिसी करने वाले मजदूरों के लिए भी मददगार हुई। कोरोना संकट के चलते केन्द्र सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रूपये से बढाकर 202 रूपये कर दिया जो एक अप्रेल से लागू हुई।

5. उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री गैस

लॉकडाउन में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को भी शामिल किया है। केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों को तीन महिने तक मुफ्त रसोई गैस देनी शुरू की, सरकार ने प्रति लाभार्थी के खाते में घरेलू गैस सिलेन्डर के लिए 753 रूपये भेजे जिससे नकद भुगतान कर सिलेंडर ले सकते हैं। उस योजना के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ले सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के दौरान की गई मदद

कोविड–19 अनुग्रह राशि भुगतान किस्त

राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड परिवार को बीपीएल राशन परिवारों को व अन्त्योदय लाभार्थियों को 1000 रूपये और 1500 रूपये की 2 किश्तें सीधे लाभार्थी के अकाउन्ट में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन ट्रान्सफर की गई। कोविड–19 अनुग्रह राशि भुगतान की लिस्ट भी ऑनलाईन है जिससे नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

राजस्थान अनुग्रह भुगतान योजना लिस्ट के पात्र लाभार्थी–

1. बीपीएल राशन कार्ड वाले परिवार
2. जॉब कार्ड व श्रमिक कार्ड वाले परिवार

3. अन्त्योदय राशन कार्डधारी

राजस्थान अनुग्रह भुगतान योजना लिस्ट के लाभ

- राज्य के गरीब, श्रमिक, मजदूर नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा 2500 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यह धन राशि दो किश्तों में दी जायेगी, पहली 1000रू. व दूसरी 1500रू.
- सरकार द्वारा दी जा रही यह आर्थिक सहायता केवल राजस्थान के लोगों को ही दी जायेगी।

कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता–

कोरोना वायरस अभियान के दौरान कोरोना वायरस के कारण किसी की भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिवार को 50 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा मेडीकल स्टाफ सहित कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रूपये के चिकित्सा बीमा कवर की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढाकर इसे अन्य कर्मचारियों के लिए भी लाभ देने की घोषणा की है। अनुबन्ध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस वित्तीय सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा। इसमें पटवारियों, ग्राम सेवकों, कॉन्सटेबल, सफाईकर्मीयों सहित संविदा कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की तरह मानदेय पर कार्यरत लोगों को भी लाभार्थियों में शामिल किया गया है।

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरत से लडने के लिए जिन योजनाओं में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

- ✓ राज्य सरकार ने स्वयं के खर्च पर कोविड महामारी को देखते हुए अप्रेल एवं मई माह के लिए निःशुल्क गेहूं वितरण का आदेश दिया।
- ✓ लॉकडाउन में अप्रेल मई व जून माह में 1 किलोग्राम दाल एवं अतिरिक्त 5 किलो गेहूं वितरण किया।
- ✓ कोरोना संकट के दौरान जिला कलक्टर निःशुल्क राशन एवं फूड पैकेट वितरण करेंगे जिसमें भामाशाहों, संस्थाओं, संगठनों, एनजीओ आदि का सहयोग लिया।

समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)

- ✓ कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन में आंगनबाडी केन्द्रों को बन्द रखा गया और लाभार्थियों को टेक होम राशन वितरण किया और निर्धारित टीकाकरण दिवस पर आशा द्वारा टीकाकरण सुनिश्चित किया गया।
- ✓ आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को पूरक आहार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया, प्रत्येक केन्द्र पर मातृ बाल विकास समिति का गठन किया गया।
- ✓ कोरोना के कारण सरकारी राशन की दुकानों से गेहूं उठाव के संबंध में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए 25 दिन के लिए 3 किलो गेहूं एवं 1 किलो चना दाल प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराई गई। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25 दिन के लिए 3 किलो गेहूं तथा 1 किलो चना दाल प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराई गई।

मिड–डे–मील योजना (MDM)

- ✓ कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द होने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश का खद्यान्न राजकीय विद्यालयों, मदरसों, प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना है। कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार 94 दिन के लिए 9 किलो 400 ग्राम खद्यान्न दिया जायेगा और कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार 94 दिन के लिए 14 किलो 100 ग्राम खद्यान्न दिया जायेगा। यह खाद्यान्न राशन में मिलने वाले खाद्यान्न के अलावा होगा।
- ✓ मिड–डे–मील वितरण की सफलता सुनिश्चित करने के तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। सभी जिलों को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक समेकित प्रगति सूचना भिजवाना जरूरी किया गया।

कामधेनु डेयरी योजना– कोरोना महामारी के बीच लोगों की इम्यूनिटी बढाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कामधेनु योजना लॉच की है। इसमें पशुपालकों और किसानों को 90 प्रतिशत तक का लोन दिया जायेगा। तय समय पर अगर पूरा लोन चुका देते हैं तो उन्हें 30 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा।

इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए नवयुवक, महिलाएं इच्छुक पशुपालक और किसान पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुसार दुधारू देशी उन्नत गौवंश की डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी लगाने के इच्छुक पत्रता रखने वाले इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश रख सकेंगे।

योग्यता और शर्तें–

- डेयरी खोलने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान और हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम एक एकड भूमि होनी चाहिए।
- प्रोजेक्ट की लागत लगभग 30 लाख होगी।
- लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होगी एवं 90 प्रतिशत राशि बैंक से लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
- समय पर ऋण चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।
- डेयरी संचालन स्थानीय निकाय के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से बाहर ही किया जायेगा।
- आवेदन www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इंदिरा रसोई योजना– राजस्थान सरकार ने कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ को दो वक्त का भोजन कम कीमत पर उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई है। यहां जरूरतमंदों को केवल 8 रूपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं अस्पतालों के नजदीक यह रसोई खोली गई हैं।

भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाएगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार मेन्यू में परिवर्तन करने की छूट होगी। इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए कूपन लेना होगा। रसोई की निगरानी सीसीटीवी एवं मोबाईल ऐप द्वारा की जायेगी। सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रूपये

का अनुदान दिया जायेगा।

कोरोना काल में साफ–सफाई, सेनिटाइजेशन एवं खाने के बंटवारे का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

- मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को कोविड–19 के संक्रमण से बचने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं जैसे मास्क, मेडीकल किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
- कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी की पूरी पालना के अलावा मजदूरी दर में बढोतरी कर 1 अप्रेल से 220 रूपये कर दिया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना–

केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा गरीबों को कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई लडने में मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1070 लाख करोड की घोषणाएं की गई हैं। इसके अन्तर्गत–

1. कोविड–19 से लडने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को बीमा योजना के तहत 60 लाख रूपये का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
2. गरीबों को कोरोना काल में हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी।
3. महिला जनधन खाता धारकों को तीन माह तक 500रू. मिलेंगे।
4. मनरेगा के तहत मजदूरी को 182रू. से बढाकर 202रू. प्रतिदिन कर दिया गया है।
5. वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1000रू. की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
6. पीएम किसान योजना के तहत अप्रेल माह में किसानों के खातों में 2,000रू.डाले गए।
7. उज्ज्वला योजना के तहत तीन महिने तक गैस सिलेण्डर मुफ्त कर दिए गए हैं।

सरकार की नई योजना सभी को मिलेंगे राशन कार्ड पर गेहूं (Non NFSA benefit)

राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासियों तथा विशेष वर्ग को जिनको खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं का लाभ नहीं दिया जाता है उनको कोरोना महामारी के दौरान अस्थाई रूप से गेहूं दिया जायेगा।

इनको भी मिलेगा गेहूं– कोविड–19 के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं का वितरण किया जायेगा।

कार्मिकों की श्रेणियां–

- हेयर सलून में कार्य करने वाले कार्मिक
- कपड़े धुलाई व प्रेस करने वाले
- फुटवियर मरम्मत या पॉलिस करने वाले
- घरों में साफ–सफाई खाना बनाने वाले
- चौराहे पर सामान बेचने वाले
- रिक्शा/ऑटो चलाने वाले व्यक्ति

- पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति
- रेस्टोरेन्ट / होटल में वेटर / रसोईया
- रद्दी बीनने वाले व्यक्ति
- भवन निर्माण वाले कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिक
- कोरोना के कारण बन्द हुए उद्योगों में लगे श्रमिक
- प्राईवेट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में कार्यरत ड्राईवर / कंडक्टर
- ठेली / रेडी वाले / स्ट्रीट वेंडर
- धार्मिक संस्थाओं में पूजा करने वाले, विवाह / हवन व धार्मिक कार्य सम्पन्न कराने वाले व्यक्ति
- मैरिज पैलेस में काम करने वाले श्रमिक, सिनेमा हॉल में काम करने वाले, कोचिंग संस्थाओं में सफाई का काम करने वाले, विवाह समारोहों में बैंड बजाने वाले / घोडी वाले, गाने बजाने वाले
- नगीना / आभूषण के काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले
- रंगाई करने वाले, कठपुतली बनाने व खेल दिखाने वाले, पत्तल दोने बनाने
- घुमन्तु / गाडिया लोहार
- झूले वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले / जादू का खेल दिखाने वाले
- लोक कलाकार, कालबेलिया, मांगणियार आदि
- मिट्टी के बर्तन वनाने वाले

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से टेक्स देता है और यही टेक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया। इसके तहत अपने अधिकारों या अपने हित में बनाई गई योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है।

1. सूचना चाहने वाला व्यक्ति निर्धारित फीस 10 रू. सहित आवेदन कर सकता है। सूचना क्यों चाहिए, इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
2. .मॉगी गई सूचना 30 दिवस में उपलब्ध करानी होगी। सूचना यदि बड़ी है तो 2 रू. प्रति पेज के हिसाब से शुल्क चुकता करना पड़ेगा।
3. कोई भी सूचना साधारण कागज पर लिखकर मांगी जा सकती है।
4. सूचना नहीं मिलने पर अपील की पा सकती है।

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा– 6 (1) के तहत)

सेवामें,

श्रीमान लोकसूचना अधिकारी

कार्यालय का पता.....

आवेदक का नाम :–

पता :–

चाही गई जानकारी का विवरण :–

चाही गई जानकारी की विषय वस्तुः–

नोटः–सभी जानकारी फोरमेट के आधार पर सुपाठ्य प्रतिलिपि में देने का कष्ट करें।

आवेदन की राशिः– 10 रू. / अंके दस रूपये मात्र का पोस्टल आर्डर, नं..... लोकसूचना अधिकारी ..... .के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

30 दिन में सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील की जा सकती है।

प्रथम अपील

प्रथम अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम

विभाग का पता

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

1. मैंने सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयावधि के समाप्त हो जाने के बावजूद–
   - लोक सूचना अधिकार द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है।
   - मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा / गलत / मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है।

अतः आपसे निवेदन हे कि सूचना के अधिकार कानून, 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोकसूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोकसूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दें। साथ ही, सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोकसूचना अधिकारी पर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें।

धन्यवाद।

नाम.....

पता.....

दिनांक

संलग्नक : 1. आवेदन की प्रति

2. आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति

3. लोकसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति

द्वितीय अपील

सेवा में

केन्द्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

केन्द्रीय/राज्य सूचना आयेग

.....

.....

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (18) के तहत द्वितीय अपील

महोदय,

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरा जावे
1	आवेदक शिकायतकर्ता	
2	लोकसूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसके विरूद्ध अपील/शिकायत है	
3	प्रथम अपील अधिकारी का नाम	
4	आदेशों का विवरण, यदि कोई हो	
5	अपील किये जाने से पहले तक के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	
6	जिस लोकसूचना अधिकारी के यहां आवेदन किया गया उसका नाम एवं पता और तिथि एवं नम्बर सहित आवेदन का संक्षिप्त विवरण	
7	आयोग से निवेदन व प्रार्थना	लोकसूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरन्त सात दिनों में प्रदान करने का आदेश दें। साथ ही आयोग से निवेदन है कि लोकसूचना अधिकारी के खिलाफ कानून की धारा 20 (1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20 (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफरिश भी करें आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं। अतः मुझे सभी सुनवाइयों की, अग्रिम सूचना अवश्य प्रदान करें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर फैसला सुनवाई करने के बाद ही करें।
8	निवेदन व प्रार्थना	लोकसूचना अधिकारी ने सूचनाएं अब तक नहीं उपलब्ध कराई हैं इसलिए सूचना का अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (18) के तहत अपील दायर की जा रही है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (6) के तहत संज्ञान लेते हुए लोकसूचना अधिकारी

		को आदेश दें कि सभी सूचनाएं मुत में उपलब्ध कराई जावें। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (2) के तहत लोकसूचना अधिकारी पर 250 रू. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगायें और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश भी करें।
9	अन्य सूचनाएं (यदि हैं तो)	
10	सत्यापन	उपरोक्त अपील के तथ्यों को दिनांक.....को सत्यापित किया गया।

मेरे द्वारा अपील के उपरोक्त तथ्यों को दिनांक..... सत्यापित किया गया है।

मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय/अभिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है। इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं।

संलग्नक सूची

1. आवेदन की प्रति
2. शुल्क रसीद की प्रति
3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (यदि हो)
4. प्रथम अपील की प्रति
5. को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (यदि हो)
6. द्वितीय अपील की प्रति को लोकसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने की रसीद

नाम.....

पता.....

स्थानः

दिनांक

नोट– सारे संलग्नक दो कॉपी में भेजें।

जन सूचना पोर्टल–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत आमजन तक चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल जिसका न्त्स्ीजजचध्रंदेववबीदंण्तंरंजींदण्हवअण्पद है व टोल फ्री नंबर 1800–180–6172 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल पर गांव से लेकर जिले तक की सूचना प्राप्त की जा सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) से संबंधित सूचना–

- स्वयं के राशन कार्ड के बारे में सूचना
- स्वयं की राशन की दुकान के बारे में सूचना
- एन.एफ.एस.ए. के स्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी
- अपने वार्ड के राशन कार्ड के बारे में सूचना
- एन.एफ.एस.ए. के लंबित/अस्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी

राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019 संबंधी सूचना–

- स्वयं के किसान कर्ज माफी की सूचना
- अपने क्षेत्र की कर्ज माफी की सूचना
- किसान कर्ज माफी की सोशल ऑडिट की सूचना

पालनहार योजना से संबंधित सूचना–

- स्वयं के आवेदन की स्थिति
- पालनहार की पात्रता
- अपने क्षेत्र के पालनहार योजना के लाभार्थी की सूचना

ई–पंचायत की जानकारी से संबंधित सूचना–

- अपने वार्ड में काम और प्रगति के बारे में जानकारी
- काम की प्रगति के बारे में जानकारी
- पंचायत के बजट की जानकारी
- पंचायत प्रोफाईल की जानकारी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से संबंधित सूचना–

- पात्रता के नियम
- स्वयं की पेंशन का विवरण
- अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना

मनरेगा श्रमिक की जानकारी–

- कार्य पूर्णता रिपोर्ट
- कार्य प्रगति रिपोर्ट
- सक्रिय जॉब कार्ड धारक रिपोर्ट
- भरे गए मस्टररोल रिपोर्ट

शालादर्पण की जानकारी से संबंधित सूचना–

- विद्यालय की भोगौलिक जानकारी
- संपर्क सूत्र
- विद्यालय की विस्तृत जानकारी
- स्वयं की किसान कर्ज माफी की सूचना
- Enrollment (Class and Section)
- Enrollment (in High School)

सिकोईडिकोन

सिकोईडिकोन (सेन्टर फोर कम्यूनिटी इकानामिक्स एण्ड डवलपमेंट कन्सलटैंट्स सोसायटी) एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह संगठन समाज के निर्धन और वंचित वर्गों की क्षमता निर्माण के कार्य के प्रति समर्पित है। संस्था कृषि, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर राजस्थान के 11 जिलों में कार्य कर रही है। सिकोईडिकोन के प्रयासों और पहलों का दायरा राजस्थान में सहभागी समुदायों की क्षमता का निर्माण करने से लेकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर रचनात्मक संवाद के मंच तैयार करने तक फैला हुआ है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सिकोईडिकोन अपने बाह्य एवं सहयोगी संगठनों की भागीदारी से कार्य करता है। सतत् विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की पैरवी करते हुए सिकोईडिकोन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले नीति सम्बन्धी मुद्दों को आगे बढ़ाने हेतु भी प्रयासरत है।

cecoedecon

सेन्टर फॉर कम्यूनिटी इकोनोमिक्स एण्ड डेवलपमेन्ट कन्सलटेंट्स सोसायटी (सिकोईडिकोन)

एफ–159–160, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर – 302022, टेली : +91-141-2771488,
ईमेल : sharad_jpl@sancharnet.in, cecoedecon@gmail.com, वैबसाइट : www.cecoedecon.org.in